प्रेषक,

फर्रूख इनाम सिद्दीकी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायलय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मऊ।

विषयः सम्पत्ति विवरण विलम्ब से प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.07.2009 को उ.प्र. न्यायिक सेवा में पदभार ग्रहण किया गया एवं जनपद न्यायाधीश बलिया के पत्र सं. 352/। दिनांक 25.02.2011 को सम्पत्ति विवरण प्रेषित किया गया। तदुपरान्त पिता एवं पत्नी की निरंतर बीमारी एवं वैश्विक महामारी के कारण सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किया जा सका। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 03.12.2021 के अनुपालन में 2010 से 2020 तक सम्पत्ति विवरण प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विलम्ब से प्रेषित सम्पत्ति विवरण के सम्बन्ध में प्रार्थी क्षमाप्रार्थी है। प्रार्थी द्वारा भविष्य में सम्पत्ति विवरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में कर दिया जायेगा।

सादर।

दिनांकः 14.12.2021

भवदीय

(फर्रूख इनाम सिद्दीकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ।